



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032022-234072
CG-DL-E-11032022-234072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1039]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2022/फाल्गुन 19, 1943

No. 1039]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2022/PHALGUNA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2022

का.आ. 1074(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5189, तारीख 14.12.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 14.12.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में NH752C के कि.मी. 2+700 से कि.मी. 33+000 तक (पचोर-शुजालपुर रोड़) (तहसील-पचोर-अतिरिक्त) के भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने /चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "दैनिक जागरण" में 20 दिसम्बर 2021 सोमवार, और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" में 21 दिसम्बर 2021 मंगलवार को दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में NH-752C के कि.मी. 2+700 से 33+000 कि.मी. तक पचौर-शुजालपुर रोड (तहसील-पचौर-अतिरिक्त) के भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: राजगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पचौर				
	गांव का नाम: तलेन				
1	341/5	निजी	सिंचित	0.073	नारायण पिता रामलाल जाति अहीर पता निवासी भित्तिपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मिर्जापुर (341/5)
2	345/1/1/7/1	निजी	असिंचित	0.011	संतोष कुमार पिता बलराम सिंह जाति अहीर पता पचौर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (345/1/1/7/1)
			कुल	0.0840	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/12/2017-18/3A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2022

S.O. 1074(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Ministry of Road Transport and Highway number S.O. 5189, dated 14.12.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH-752C on the stretch of land from Km 2+700 to Km 33+000 (Pachore-Shujalpur-Road (Tehsil-Pachore-Additional) in the district of RAJGARH, in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Jagran" Dated 20 December 2021 Monday, And "times of India" Dated 21 December 2021 Tuesday, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-752C in the stretch of land from km. 2+700 to Km. 33+000 (Pachore-Shujalpur-Road) (Tehsil-Pachore-Additional) in the district of RAJGARH, in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pachore				
	Village: Talen				
1	341/5	Private	Irrigated	0.073	Narayan Father Ramlal Caste Ahir Address Niwasi Bhattipur Rajgarh Madhya Pradesh Bhumi Swami Mirjapur 341/5
2	345/1/1/7/1	Private	Non Irrigated	0.011	Santosh Kumar Father Balram Singh Caste Ahir Address Pachore Rajgarh Madhya Pradesh Land Owner 345/1/1/7/1
			TOTAL	0.084	

[F. No. CE-RO BPL/30010/12/2017-18/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Director